टेनी को बगल में खड़ा कर शाह ने घोषित किया यूपी को भयमुक्त

सुसंस्कृति परिहार

कल रोम में मोदी जी से किसी गुजराती भाई ने पूछा —केम छोड़ तो उन्होंने उत्तर दिया माजा माछो। कल ही मोदी जी की सरकार के गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 16 साल की बच्ची भी गहने लादकर रात को 12 बजे सड़क पर निकल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जहां हर जिले में दबंग नज़र आ जाते थे वे अब दूरबीन से ढूंढने पर भी नज़र नहीं आते। दबंग विहीन उत्तर प्रदेश के सिवा और क्या चाहिए। दबंग ही तो बलात्कार,हत्या, लूटपाट और राजनीति को गंदा किए थे।यानि अब उत्तर प्रदेश माजा माछो।

कमाल है प्रियंका जी का जादू चल गया वे दबंगों से पीड़ित परिवारों से क्या मिलीं अमित जी ने उत्तर प्रदेश से सारे दबंग ही गायब कर दिए। लड़की हूं-लड़ सकती हूं नारे ने तो भई करिश्मा ही कर दिया है। हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और आगरा कांड के तमाम दोषी या तो जेल पहुंच चुके होंगे या योगी ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपराध से मुक्त घोषित कर दिया होगा। बहरहाल अभी ये सिर्फ भाषण में है रिपोर्ट आयेगी तब समझी जाएगी।

फिर भी अगर अमित शाह का यह शाही झूठ जनता को पसंद आ जाता है तब तो उनकी एकतरफा जीत हो सकती है। लेकिन जिस तरह प्रियंका महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहीं हैं और अखिलेश भाजपा को उखाड़ने और भाजपा को तोड़ने में लग गए हैं। उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यह भाषण भाजपा को हराने ही दिया गया है। विदित हो संघ और मोदी शाह में गहरी अनबन है और वे हर हाल में योगी को हटाने के लिए प्रतिबद्ध

हैं। अगर महिलाओं के ख़िलाफ़ अंजाम दिए गए सबसे जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अग़वा किए जाने से लेकर पोक्सो आदि मामलों में अपराध के ग्राफ़ पर नज़र डालें तो एक दिलचस्प बात नज़र आती है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ किए गए कुल अपराधों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। वहीं, जघन्य अपराधों के आंकड़े में मामूली ही सही, लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए, साल 2016 में उत्तर प्रदेश में गैंग-रेप के दर्ज किए गए मामलों की संख्या 682 थी जो कि 2020 तक घटकर 271 रह गयी, यानी इसमें लगभग 60 फ़ीसदी की कमी हुई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि पूरे देश भर के हर राज्य में अपराधों पर पूरा लेखा-जोखा तैयार करता है, के मुताबिक साल 2020 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध के मामले में बहुत बेहतर नहीं हुई है। अगर हम साल 2017 जब यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई थी उन दोनों सरकारों के बीच के अपराध के ग्राफ की बात करें तो साल 2017 तक प्रदेश में अपराध की जो स्थिति थी उसमें कई मायनों में सुधार हुआ है तो कई लिहाज से स्थिति और बदतर भी हुई।

साल 2020 के एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला रिपोर्ट किया जाता है। जबकि बच्चों के खिलाफ रेप का मामला हर 90 मिनट में रिपोर्ट हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2018 में उत्तर प्रदेश में रेप पर कुल 4322 मामले दर्ज हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि हर रोज करीब 12 रेप के मामले हो रहे थे।

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार संबंधी 2018 में 59445 मामले दर्ज किए गए। जिसका अर्थ है कि हर रोज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले 162 रिपोर्ट किए गए। जो कि साल 2017 के मुकाबले 7 परसेंट ज्यादा है। साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 56011 मामले दर्ज किए गए थे। यानी उस वक्त यह आंकड़ा हर दिन के हिसाब से 153 केस था। साल 2018 में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के कुल 144 मामले दर्ज किए गए। जबकि साल 2017 में यह आंकड़ा 139 था।

साल 2017 अप्रैल में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कम हो सकें। एंटी रोमियो स्क्वॉड, मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम इसीलिये शुरू किए गए। लेकिन वे सब विवादों में उलझ कर रह गए।

.मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधियों ने अपना तबादला दूसरे राज्यों की जेलों में करा लिया। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो ह्यष्टत्रक्के डेटा के मुताबिक यूपी में साल 2016 में जहां कुल अपराध के 4,94,025 मामले दर्ज किए गए वहीं साल 2018 में 5,85,157 मामले दर्ज किए गए यानि की अपराधों में करीब 11 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ। अतीक अहमद से शुरू हुआ ये सिलसिला हरिशंकर तिवारी, राजा भैया अमरमणि त्रिपाठी से आज अजय मिश्रा टेनी तक साफ दिखाई दे रहा है।

यूपी सरकार एनसीआरबी के इन आंकड़ों को नकारती है। सरकार के मुताबिक यूपी में अपराध पर नियंत्रण हुआ है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से पूरे देश की तुलना में कम है। यूपी सरकार हाल के दिनों में अपराध पर नियंत्रण के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर और रासुका जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कर रही है। सरकार अपनी इसी कोशिश के हवाले से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण का दावा भी कर रही है। कुल मिलाकर अमित शाह के दोनों बयान सच से कोसों दूर हैं। कौन माजा माछो। जनता भली-भांति जान रही है। बदलाव का अलाव जल चुका है। छल बल की राजनीति से लोग मुक्त होने को बेताब हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो : ड्रग्स तस्करी के एक मामले में 13 साल की सजा काट रहे हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर साजी मोहन

जेपी सिंह

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा तीन अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज पोत पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में 25 करोड़ रूपये की वसूली के प्रयास के आरोप लग रहे हैं। एनसीबी अधिकारियों पर ऐसे आरोप पहले से लगते रहे हैं। चंडीगढ़ नारकोटिस विभाग में जोनल डायरेक्टर रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी साजी मोहन को ड्रग्स तस्करी के मामले में वर्ष 2013 में 13 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 1995 बैच के जम्मू-कश्मीर कैडर के इस पूर्व आईपीएस अधिकारी को जनवरी 2009 में मुंबई के ओशिवरा इलाके में 12 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। साजी मोहन अभी जेल में ही हैं।

जम्मू-कश्मीर में कई जिलों में एसपी के रूप में तैनात रहे साजी मोहन का स्थानांतरण 2007 में चंडीगढ़ स्थित नारकोटिस विभाग में जोनल डायरेक्टर के रूप में हुआ था। इस दौरान उसने कई ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि साजी मोहन जो ड्रग्स बरामद करता था उसे सरकारी आंकड़ों में कम कर दिखाता था। धीरे-धीरे वह इसे अपने पास इकट्ठा करता रहा और फिर सुनियोजित तरीके से हेरोइन के धंधे का रैकेट चलाने लगा। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल की हेरोइन के साथ गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही के बाद एटीएस ने मुंबई में माल बेचने के लिए गए साजी मोहन को गिरफ्तार किया गया था।

हेरोइन तस्करी के मामले में आईपीएस साजी मोहन ने एटीएस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए थे। साजी मोहन ने एटीएस को बताया था कि वह तस्करों से बरामद हेरोइन को बाजार में बेच देता था और उसकी जगह पर चूना या फिर पाउडर रख देता था ताकि इससे किसी को शक न हो कि हेरोइन वहां से कम हो रही है। साजी मोहन पर हेरोइन तस्करी का आरोप था।इस गिरफ्तारी के बाद एक और खुलासा हुआ था, जिसमें साजी मोहन ने मालखाने से 13 लाख 81 हजार रुपये का गबन किया था। इसके बाद साजी मोहन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने साजी मोहन व एक अन्य के खिलाफ 420 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।

मार्च 2009 में मुंबई एटीएस ने हेरोइन तस्करी और बेचने के आरोप में एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर और 1995 बैच के आईपीएस साजी मोहन को गिरफ्तार कर जांच शुरू की थी। महाराष्ट्र के एटीएस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के कब्जे से 12 किलोग्राम शुद्ध हेरोइन जब्त किया था। मादक पदार्थ को जम्मू-कश्मीर सीमा पर कथित तौर पर तस्करी के जरिये लाया गया था। एटीएस के अनुसार, साजी मोहन चंडीगढ़ में एनसीबी के जोनल निदेशक रहते नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जब्त नशीले पदार्थ में से 50 फीसदी की चोरी की थी और उन्हें मुंबई सहित अन्य शहरों में ड्रग माफिया को बेचा था। उसके पकड़े जाने के बाद एनसीबी ने अपने मालखाने का रिकार्ड चेक किया था। चेकिंग के दौरान 15 मई, 2008 को जम्मू-कश्मीर बार्डर से जब्त की गई 60 किलो हेरोइन की जगह मालखाने में महज 30 किलो हेरोइन मिली थी। 30 किलो हेरोइन कम होने की जांच के दौरान पता चला कि साजी मोहन ने उक्त हेरोइन को अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बेच दिया था।

आरोप के मुताबिक, इसमें से 10 किलो हेरोइन साजी मोहन ने तस्कर नसीब चंद को दे दी थी। एनसीबी ने साजी मोहन समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। एटीएस को साजी मोहन ने बताया था कि वह तस्करों से बरामद हेरोइन को बाजार में बेच देता था और उसकी जगह पर चूना या पाउडर रख देता था। गबन किए गए रुपये साजी मोहन को पीयू स्थित बैंक में जमा करवाने के लिए दिए गए थे, लेकिन उसने रुपये जमा करवाने के बजाय गाड़ी खरीद ली थी। इसके बाद एटीएस ने साजी

मोहन के करीबी रहे सारे पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ चंडीगढ़ के नारकोटिक्स ब्यूरो के कर्मचारियों से भी सबूत जुटाए थे ।

एटीएस ने उसके हर बयान की पुष्टि के लिए एनसीबी के अधिकारियों से भी पूछताछ की थी। अदालत ने साजी मोहन और एक अन्य साथी पर वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार की साजिश रचने और गबन के आरोप तय किए थे। करीब चार साल बाद जम्मू कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एवं पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर साजी मोहन को जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी करार दिया था। मालखाने से रुपये निकालने के मामले में वर्ष 2013 में जिला अदालत साजी मोहन को 13 साल की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना कर चुकी है।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी साजी मोहन को मादक पदार्थ रखने और उसकी तस्करी का दोषी ठहराते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई थी । एनडीपीएस विशेष अदालत ने 2009 के इस मामले में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल राजेश कुमार कटारिया को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। तत्कालीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक और ईडी के संयुक्त निदेशक साजी मोहन और कटारिया को नशीला पदार्थ रखने और उसकी तस्करी की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। कांस्टेबल कटारिया उस वक्त साजी मोहन का ड्राइवर था।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)द्वारा तीन अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज़ पोत पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तारी के बाद इस मामले में 25 करोड़ रूपये की वसूली के प्रयास के आरोप लग रहे हैं। एक ओर अडानी के मुंदरा पोर्ट से 21 हजार करोड़ मूल्य के 3 टन ड्रग्स (नशीले पदार्थ) पकड़े जाने पर अभी तक न तो पोर्ट के मालिक गौतम अडानी से न ही मुंदरा पोर्ट पर तैनात उनकी कम्पनी के आला अधिकारियों से एनसीबी या देश की किसी जांच एजेन्सी ने औपचारिक पूछताछ की है। वहीं आर्यन खान के पास से एक ग्राम ड्रग्स तक की बरामदगी न होने के बावजूद तीन हफ्तों से बॉम्बे के आर्थर रोड जेल में निरुद्ध करके रखा गया है और ड्रग पैडलर तक का आरोप बिना किसी सबूत के एनसीबी अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा है। दरअसल बॉलीवुड वसूली का सॉफ्ट टारगेट है जहाँ दाउद, रविपुजारी और अन्य माफिया तत्वों द्वारा जबरन वसूली की जाती है तो भला एनसीबी कैसे पीछे रहती। एनसीबी का नाम अब नारकोटिक्स कंट्रोल (वसूली) ब्यूरो बनता जा रहा है।

आर्यन को जमानत पर छोड़ने में 27 दिन क्यों लगाये न्यायपालिका ने

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

बीते दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने मानवाधिकारों के हनन का आरोप पुलिस पर लगाया था। इस पर मज़दूर मोर्चा ने लिखा था कि पुलिस से कहीं ज्यादा यह हनन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। इसका जीता-जागता एवं ताजा-तरीन उदाहरण 23 वर्षीय युवा आर्यन खान का है जिसे 27 दिन तक मुंबई की एक जेल में काटने पड़े। 23 वर्षीय आर्यन अभी एक छात्र है जो लंदन के एक संस्थान में पढाई कर रहा है। उसका कसूर केवल इतना भर है कि वह अभिनेता शाहरूख खान का बेटा है।

न्यायपालिका के मंच पर 27 दिन तक चले नाटक में कहीं पर भी यह सिद्ध नहीं हो सका कि उसने कोई ड्रग लिया है या उसके कब्जे में कोई ड्रग था। इस तथ्य को समझने में 27 दिन का लग जाना क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या यह तथ्य चंद घंटों या एक दो दिन में समझ पाने की क्षमता भारत की न्यायपालिका में नहीं है? इतना ही नहीं जमानत आदेश हो जाने के बावजूद जेल से बाहर आने के लिये भी आर्यन को दो दिन का इन्तजार करना पड़ा। इसका कारण न्यायिक प्रक्रिया बताया जाता है। यानी कि उसी शहर में स्थित हाई कोर्ट का आदेश निचली अदालत होते हुए जेल तक पहुंचने और उस पर अमल करने में ही दो दिन लग गये, जबकि मोदी सरकार के प्यादे अर्नब की रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट से तुरन्त जेल तक पहुंच गये थे। उस वक्त कहा गया था कि यह डिजिटल युग है।